न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/120/2019	2019/00491	15.10.2019	07.06.2022

—::उनवान::—

1. कैलाशचन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा
2. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा
3. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा
4. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला मीणापाडी शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र स्व0 तुलसीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बलदेवगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार अलवर।

—असल रैस्पोडेन्ट्स

3. चेतन शर्मा पुत्र स्व0 ललीत कुमार शर्मा
4. शुभम शर्मा पुत्र स्व0 ललीत कुमार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मौहल्ला मीणापाडी शहर अलवर तहसील व जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 02.08.2017 नामान्तकरण संख्या 65 ग्राम पालका तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री मुकेश कुमार शर्मा —**वकील अपीलान्ट्स**
02. श्री राकेश शर्मा —**वकील तरतीबी रैस्पो0**

——:: **निर्णय** ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 02.08.2017 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 65 ग्राम पालका तहसीलदार अलवर जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित इंतकाल विरासत मृतक तुलसीराम हम अपीलांट्स की गैरजानकारी एवं गैरमौजूदगी में पारित किया गया है। अपीलांट्स को पूर्व में उक्त इंतकाल की जानकारी नहीं थी, जिस कारण उक्त अपील अन्दर अवधि पेश नहीं कर सके। अपीलांट्स की लापरवाही या बदयान्ती नहीं है। दिनांक 25.10.2018 को अपनी खरीदशुदा आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने तो पटवारी हल्का ने इंतकाल सं0 65 की मौखिक रूप से नकल जमाबंदी देखकर जानकारी दी।

दिनांक 25.10.2018 को उक्त इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया। जो दिनांक 02.11.2018 को नकल प्राप्त हुई। वकील साहब से कानूनी सलाह लेकर बिना देरी के अन्दर अवधि अपील पेश की गयी। दिनांक 02.08.2017 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 25.10.2018 तक का समय काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। जहां आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शून्य हो एवं पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी हो वहां मियाद बिन्दू गौण हो जाता है। जिस हेतु पृथक से प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी ग्राम पालका तहसील अलवर में स्थित है। वर्णित विवादित आराजी खातेदार काश्तकार असल रैस्पो0 1 का पिता तुलसीराम पुत्र श्री बृजलाल शर्मा हाल निवासी बलदेवगढ़ तहसील राजगढ़ था। जो फौत हो गया है। जिसका विरासत का इंतकाल सं0 65 दिनांक 02.08.2017 को असल रैस्पो0 1 के हक में तस्दीक किया गया है। एक पक्षीय तस्दीक किया है। विधिक प्रावधानों व प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरित है। वर्णित विवादित आराजी को मृतक तुलसीराम ने अपने जीवनकाल में हम अपीलांट्स व तरतीबी रैस्पो0 के पिता ललीत व अपीलांट्स की माता मृतक श्रीमति कपूरीदेवी पत्नी स्व0 श्रीनारायण शर्मा व मृतक दौलतराम शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.07.1993 को बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर क्रेताओं का वास्तविक/भौतिक रूप से कब्जा करा दिया। बयनामा उपपंजीयक अलवर द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। इसलिए तुलसीराम के फौत के बाद असल रैस्पो0 1 ने उक्त इंतकाल अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराने का कोई नैतिक व विधिक अधिकार नहीं था। पटवारी से साजबाज होकर इंतकाल गलत जांच रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक करा लिया। असल रैस्पो0 2 ने अपीलांट्स व तरतीबी रैस्पो0 को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना उक्त विवादित इंतकाल का निर्णय कर दिया। जो विधि विरूद्ध है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद संख्या 2/9 उनवान नवलकिशोर बनाम मुरली वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां विचारधीन है। जिस वाद के साथ पेश प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जाप्ता दीवानी में दिनांक 03.05.2006 को निर्णय पारित कर ताफैसला दावा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। उक्त आदेश के प्रभावी होते हुए भी असल रैस्पो0 2 ने विवादित इंतकाल दर्ज कर तस्दीक किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 02.08.2017 बाबत इन्तकाल संख्या 65 वाके ग्राम पालका तहसील अलवर जिला अलवर को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट्स व तरतीबी रैस्पो0 के हम में हिस्से अनुसार मुताबिक बयनामा दिनांक 17.07.1993 दर्ज व स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2017 के विरूद्ध दिनांक 12.11.2018 को अपील पेश की गयी। जो लगभग 1 वर्ष 3 माह के विलम्ब से पेश की गयी है। उक्त अवधि साधारण नहीं है। फिर भी न्यायहित में नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त अवधि कन्डोन किया जाता है। बहस वकील अपीलांट एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि असल रैस्पो0 1 के पिता मृतक तुलसीराम पुत्र बृजलाल शर्मा द्वारा अपीलांट्स व तरतीबी रैस्पो0 के पिता ललीत व अपीलांट्स की माता मृतक श्रीमति कपूरीदेवी पत्नी स्व0 श्रीनारायण शर्मा व मृतक दौलतराम शर्मा पुत्र स्व0 श्रीनारायण को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.07.1993 बेचान किया गया, जो उप पंजीयक अलवर द्वारा पंजीबद्ध है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी के संबंध में राजस्व वाद संख्या 2/9 उनवान नवलकिशोर बनाम मुरली वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के यहां विचारधीन है। जिस वाद के साथ पेश प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट व आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 जाप्ता दीवानी में दिनांक 03.05.2006 को निर्णय पारित कर ताफैसला दावा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है तथा उक्त आदेश के प्रभावी होते हुए भी असल रैस्पो0 2 ने विवादित इंतकाल दर्ज कर तस्दीक किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलांट्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर द्वारा तस्दीक अपीलाधीन इंतकाल संख्या 65 निर्णय दिनांक 02.08.2017 को निरस्त किया जाता है। उक्त विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी से संबंधित राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान् के अधिकार तय होने है, उक्त को दृष्टिगत

रखते हुए अपील अपीलांट्स तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णयानुसार एवं दस्तावेज बयनामा दिनांक 17.07.1993 का भली–भांति सम्पूर्ण परीक्षण/जांच कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)